भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *132
दिनांक 29/07/ 2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता

*132. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है,

(ख) प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नियमित कार्यशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पंचायतों में डिजिटल उपकरणों और ई-गवर्नेस के उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है:

(घ) निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है;

(ङ) मंत्रालय द्वारा कमजोर वर्गों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है.

(च) पंचायतों में नवोन्मेष और मॉडल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं,

(छ) क्या सरकार को पंचायती राज संस्थाओं में छद्म/परोक्ष नेतृत्व को नियंत्रित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुएहैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए किन्हीं दण्डात्मक उपायों की सिफारिश की गई है; और

(ज) महिला लोकपाल, सार्वजनिक रूप से शपथ लेने और महिला नेताओं द्वारा परामर्श देने जैसे सुझावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 132 जिसका उत्तर दिनांक 29.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ज) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) पंचायती राज एक राज्य का विषय हैं। इसलिए राज्यों की यह पूरी जिम्मेदारी है कि वे पंचायतों को वित्त, कार्यों और कार्यात्मकता को इस तरह से हस्तांतरित करें कि पंचायतें सशक्त हों और अपने वित्तीय संसाधनों को जुटाने में सक्षम हों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243एच के अनुसार, राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन ऐसे कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत कर सकता है और पंचायतों को ऐसे कर, शुल्क, टोल और फीस राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन लगाए और एकत्र किए गए हैं, जो कानून में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। पंचायती राज एक राज्य का विषय होने के नाते, पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के अपने राजस्व स्रोतों (ओएसआर) से संबंधित डेटा का रख-रखाव नहीं करता है। इसके अलावा, राज्य और पंचायतें अक्सर पंचायतों से संबंधित ओएसआर डेटा साझा नहीं करते हैं।

हालाँकि, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान सभी स्तरों की पंचायतों को प्रदान किए जाते हैं। पंचायतों को वित्तीय हस्तांतरण में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान का प्रति व्यक्ति वार्षिक आवंटन 13वें वित्त आयोग के 176 रुपये से बढ़कर 15वें वित्त आयोग में 674 रुपये हो गया है। 28 राज्यों में पंचायतों के तीनों स्तरों और पारंपरिक निकायों में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को केंद्रीय वित्त आयोग (अब, पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत) के तहत अनुदान के प्रावधान के अलावा, सरकार ने पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु राजस्व के अपने स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद (आईआईएम-ए) के सहयोग से पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के सृजन पर विशेष मॉड्यूल विकसित किए हैं और राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है;

(ii) एमओपीआर ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान संस्थान (एनसीएईआर) और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली के माध्यम से पंचायतों द्वारा ओएसआर के संचलन और संवर्द्धन में संभावनाओं और चुनौतियों का आकलन करने के लिए अध्ययन करवाया है, जिसमें राजस्व (कर और गैर-कर दोनों) सृजन के लिए व्यवहार्य वित्तीय मॉडल/मॉडलों पर सुझाव दिए गए हैं और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।

(iii) पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति पर सर्वेक्षण किया है और हस्तांतरण सूचकांक का अनुमान लगाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय हस्तांतरण पर सूचकांक भी शामिल है और इसे सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्यों के साथ साझा किया गया है।

(iv) पंचायतों द्वारा ओएसआर के संचलन और संवर्द्धन को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के अंतर्गत आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार नामक एक पुरस्कार की स्थापना की गई है और पंचायतों को पुरस्कार वर्ष-2025 में पहली बार पुरस्कृत किया गया है।

(v) ओएसआर सृजन के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ और ग्रामीण नागरिकों और नेताओं को संवेदनशील बनाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ओएसआर सृजन के संबंध में एक एपिसोड चलाने सहित विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ शुरू की गई हैं।

(ख) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी एंड पीआरएस), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर), भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) जैसे अन्य संगठनों के माध्यम से, पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) के लिए संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधन, योजना, कार्यान्वयन, संसाधन जुटाने आदि में शासन क्षमताओं और नेतृत्व की भूमिकाओं के निर्माण के लिए निरंतर आधार पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, पीआरआई के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग समानता, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन आदि जैसे क्षेत्रों पर विषयगत कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य स्थायी लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करने की उनकी क्षमता को बढ़ाना है।

(ग) और (घ) डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत, मंत्रालय विभिन्न डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और एप्लिकेशन विकसित और लोकप्रिय बनाकर जमीनी स्तर पर शासन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना योजना को कार्यान्वित कर रहा है। ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखा, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज का एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान में सक्षम बनाता है, जिससे निर्बाध निधि प्रवाह सुनिश्चित होता है और कम विलंब होती है। पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, मेरी पंचायत जैसे एप्लिकेशन ने पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है। पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

(ड.) आरजीएसए योजना के अंतर्गत, मंत्रालय निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधि (डब्ल्यूईआर) और कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हैं, को नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमता विकसित करने और प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है। महिला पंचायत नेताओं को जमीनी स्तर पर अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) के क्षमता निर्माण हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए व्यापक विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है ताकि सुशासन के प्रभावी निर्वहन हेतु उनके नेतृत्व, प्रबंधकीय, संचार और बातचीत कौशल को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

(च) आरजीएसए योजना के अंतर्गत, आर्थिक विकास और आय संवर्धन परियोजनाओं जैसे घटकों के लिए अंतर निधि की व्यवहार्यता (viability gap funding) के रूप में वित्तीय सहायता ग्राम पंचायतों और ग्राम पंचायतों के समूह के लिए सूक्ष्म परियोजनाओं हेतु सहायता दी गई है, जिसमें ग्रामीण शासन में नवीन मॉडलों को बढ़ावा देने के लिए इको-टूरिज्म, होमस्टे अवसंरचना, सांस्कृतिक विरासत स्थल आदि शामिल हैं।

(छ) और (ज) पंचायती राज मंत्रालय पहले से ही पंचायती राज संस्थाओं में छद्म/प्रॉक्सी नेतृत्व के मुद्दे से ग्रस्त है और सरपंच पति की अनैतिक प्रथा के खिलाफ विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ चला रहा है। हाल ही में, प्रधान पति के मुद्दे को उठाते हुए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। मामले की विधिवत सुनवाई के बाद, माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 06/07/2023 के आदेश में याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह सबसे पहले पंचायती राज मंत्रालय से उपाय मांगे। पंचायती राज मंत्रालय ने परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व की जा रही महिला प्रधानों के मुद्दे के समाधान के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति ने 70 से अधिक कार्रवाई योग्य रणनीतियों की सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिन्हें विकसित किया गया है, और उनके कार्यान्वयन के लिए प्रमुख हितधारकों की पहचान की गई है। सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक सुविधा समिति का गठन किया गया है।

***